

प्रेषक

जितेन्द्र कुमार,
सरकार के विशेष सचिव

सेवा में

जिला पदाधिकारी
मधेपुरा।

पटना, दिनांक-.....2016

विषय :- Death Reference No. 1 of 14 बिहार राज्य एवं अन्य तथा क्रिमिनल अपील (डी0बी0 सं0-612/14) एवं अन्य सदृश्य वादों में दिनांक-04.11.2015 को माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में गर्दनीबाग (शास्त्रीनगर) थाना कांड सं0-868/2002 दिनांक-29.12.2002 (केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के द्वारा कांड के हस्तांतरण के पश्चात नया नम्बर आर0सी0 नं0 5 (S)/2003) में मधेपुरा जिला के मृतक स्व0 हिमांशु कुमार, पे0-स्व0 सुरेन्द्र प्रसाद यादव की माँ मो0 अनीता यादव, सा0-नन्द नगर, **North of Station Chowk, Madhepura**, वार्ड सं0-21, थाना-सदर, जिला-मधेपुरा को मुआवजा की राशि 10,00,000/- (दस लाख) रुपये मात्र के भुगतान हेतु विभागीय स्वीकृत्यादेश-1187 दिनांक-08.02.2016 के क्रम में आबंटन।

वित्तीय वर्ष 2015-16 में जिला पदाधिकारी, मधेपुरा को पूर्व में आबंटित राशि	वित्तीय वर्ष 2015-16 में जिला पदाधिकारी, मधेपुरा को वर्तमान में आबंटित राशि	वित्तीय वर्ष 2015-16 में जिला पदाधिकारी, मधेपुरा को कुल आबंटित राशि।
रु0 (शून्य)	रु0 10,00,000/- (दस लाख रुपये) मात्र	रु0 10,00,000/- (दस लाख रुपये) मात्र

महाशय,

उपरोक्त आबंटित राशि रु0 10,00,000/- (दस लाख) मात्र चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में मुख्य शीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-उप मुख्य शीर्ष-60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-लघु शीर्ष-200-अन्य कार्यक्रम, मांग संख्या-22-उप शीर्ष-0011-मानवता के दृष्टिकोण से राहत (विपत्र कोड संख्या N2235602000011) के अन्तर्गत विषय शीर्ष-31 02 अनुग्रह अनुदान मद में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

2. यह आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं0-2561 दिनांक-17.04.1998 के आलोक में निर्गत किया जाता है, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी जिला पदाधिकारी, मधेपुरा की होगी।

3. उपरोक्त राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, मधेपुरा होंगे।

4. उपरोक्त राशि की निकासी जिला कोषागार, मधेपुरा से की जायगी।

5. जिला पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा मृतक स्व0 हिमांशु कुमार, पे0-स्व0 सुरेन्द्र प्रसाद यादव की माँ मो0 अनीता यादव, सा0-नन्द नगर, **North of Station Chowk, Madhepura**, वार्ड सं0-21, थाना-सदर, जिला-मधेपुरा को उक्त राशि का भुगतान बैंक ड्राफ्ट/चेक के माध्यम से किया जाएगा।

6. इस राशि का उपयोग जिला पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा मृतक की माँ को मुआवजा भुगतान हेतु किया जाएगा, किसी भी अन्य योजना के कार्य पर विचलन नहीं किया जाएगा।

7. जिला पदाधिकारी, मधेपुरा का यह दायित्व होगा कि भुगतान की गयी राशि की व्यय विवरणी, उपयोगिता प्रमाण पत्र गृह (विशेष) विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध करा देगे।

8. यदि किसी कारणवश जिला पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा उक्त राशि का भुगतान न हो पाये तो उसका प्रत्यार्पण वित्तीय वर्ष 2015-16 की समाप्ति के पूर्व गृह (विशेष) विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से कर दिया जायेगा।

विश्वासभाजन,

ह0/-

(जितेन्द्र कुमार)

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक-ए/मु0-44-02/2016...../

पटना, दिनांक-.....2016

प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक-ए/मु0-44-02/2016...../

पटना, दिनांक-.....2016

प्रतिलिपि:-प्रमण्डलीय आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, मधेपुरा/वित्त विभाग, बिहार, पटना को (दो प्रतियों में) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक-ए/मु0-44-02/2016...../

पटना, दिनांक-.....2016

प्रतिलिपि:-सदस्य सचिव, बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, बुद्ध मार्ग, पटना-800001 को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक-ए/मु0-44-02/2016...../

पटना, दिनांक-.....2016

प्रतिलिपि:-उप सचिव, प्रभारी प्रशाखा 'ए' गृह (विशेष) विभाग, बिहार, पटना को लेखा संधारण हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक-ए/मु0-44-02/2016-1249...../

पटना, दिनांक-09/02/2016

प्रतिलिपि:-आई0टी0 प्रबंधक, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Jitendra
09.02.16
सरकार के विशेष सचिव